सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 माघ, 1942 (श०)

संख्या-145 राँची, शुक्रवार, 19 फरवरी, 2021 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

18 फरवरी, 2021

अधिसूचना संख्या-12/विविध -02/2016-640 -- उद्योग विभाग के पत्रांक-2503, दिनांक-06.11.2020 के आलोक में निदेश दिया गया है कि विभाग द्वारा भविष्य में बनाये जा रहे Regulations के Legal Basis, Necessity तथा Business Friendly होना आवश्यक है। साथ ही निदेशित किया गया है कि उक्त पत्र के आलोक में सभी विभाग इस आशय की निर्गत करेंगे कि विभाग द्वारा भविष्य में Regulation बनाते समय Regulations के Legal Basis, Necessity तथा Business Friendly होने की जाँच कर लेंगे तथा तैयार किये गये Regulation का Feedback प्राप्त करने हेतु विभागीय पोर्टल पर 30 दिनों तक प्रदर्शित करेंगे।

2. अतएव विभाग द्वारा भविष्य में Regulation बनाते समय Regulations के Legal Basis, Necessity तथा Business friendly होने की जाँच आवश्यक रूप से कर ली जाय तथा तैयार किये गये Regulation का Feedback प्राप्त करने हेतु विभागीय पोर्टल पर 30 दिनों तक प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जाय।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

अभिषेक श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 145 -- 50